

(अंग्रेजी माध्यम)

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
जालौन स्थान उरई।

सेवा में,

प्रबन्धक,
भगवान सिंह जूनियर हाईस्कूल,
अजनारी, डकौर (जालौन)।

पत्रांक: मान्यता/अंग्रेजी माध्यम/ 10716-22 /2019-20 दिनांक- 15/01/2020


विषय- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 16 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम-15 के उपनियम (4) के अधीन कक्षा नर्सरी से कक्षा 8 तक (उच्च प्राथमिक स्तर अंग्रेजी माध्यम) विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय,

शासनादेश संख्या-89/अरसठ-3-2018-2041/2018 बेसिक शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 11 जनवरी 2019 में निहित निर्देशानुसार आपके दिनांक- 15/01/2019 के आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चात्कर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश मण्डलीय मान्यता समिति द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार मैं आपके विद्यालय को दिनांक- 15/01/2020 से दिनांक- 15/01/2021 तक एक वर्ष की अवधि के लिये कक्षा नर्सरी से कक्षा 8 तक (उच्च प्राथमिक स्तर अंग्रेजी माध्यम) के लिये अनन्तमान मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों को पूरा किये जाने के अधीन है:-

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपाबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 (उपाबंध 2) का उपबंधों का पालन करेगा।
3. विद्यालय में होने वाली प्रत्येक कक्षा में (यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगी।
4. पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूरितियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय में पृथक बैंक खाता रहेगा।
5. सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता या संरक्षक का किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसके आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 16 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा-
 - I. प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
 - II. किसी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्याधीन नहीं किया जायेगा।
 - III. प्राथमिक शिक्षा पूरी होने किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
 - IV. प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।
 - V. अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
 - VI. अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है; परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक, उनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएँ नहीं हैं, ऐसे वर्ग के अवधि के भी भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएँ अर्जित करेंगे।
 - VII. अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है।



St. Josephs Sr. Sec. School
P.C., Dibiyapur (Aun)

Principal
D.A.V. Public School
L. Gan, Dibiyapur
Jaloun (I.P.) 206244

9. मान्यता प्राप्त विद्यालय के प्रबन्धतंत्र द्वारा शपथ-पत्र दिया जायेगा कि वह समय-समय पर निर्गत शासनादेशों, विभागीय आदेशों तथा मार्गदर्शी सिद्धान्तों का पालन करेगा।
10. भारत के संविधान में प्राविधानित राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय ध्वज व सर्वधर्म समभाव तथा मानवीय मूल्यों को संप्रति के लिए प्राविधानित नीतियां तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
11. विद्यालय के भवनों तथा परिसरों को किसी भी दशा में व्यावसायिक एवं आवासीय उद्देश्यों के लिए दिन और रात में प्रयोग नहीं किया जायेगा।
12. विद्यालय भवन परिसर अथवा मैदान को किसी राजनैतिक अथवा गैर शैक्षिक क्रिया-कलापों के प्रयोग में भी नहीं लिया जायेगा।
13. विद्यालय भवन के अग्रभाग पर विद्यालय का नाम, मान्यता का वर्ष, विद्यालय कोड एवं मान्यता प्रदान करने वाली संस्था/निकाय का प्रतीय चिह्न (Logo) एवं नाम सुस्पष्ट रूप से अंकित किया जाना अनिवार्य होगा। अधिकतम दो वर्ष में विद्यालय भवन में रंग-रोगन की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जायेगी।
14. विद्यालय का किसी सरकारी अधिकारी अथवा स्थानीय शिक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जा सकेगा। खण्ड शिक्षा अधिकारी एवं उनसे उच्च स्तर के शिक्षा विभाग के अधिकारी अथवा जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा।
15. बेसिक शिक्षा विभाग के जनपदीय/मण्डलीय/राज्य स्तरीय अधिकारी अथवा अन्य किसी तक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी विद्यालय से सूचना मार्गें जाने पर आवश्यक आख्यां एवं सूचनायें निर्देशानुसार उपलब्ध करावी जायेंगी तथा निर्देशों का पालन विद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
16. विद्यालय प्रबन्धतंत्र द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धारा-12(1)(सी) के अन्तर्गत दुर्बल आय वर्ग के बच्चों को प्रवेश दिए जाने का शपथ-पत्र दिया जायेगा।
17. मान्यता प्राप्त विद्यालयों द्वारा छात्रों से शिक्षण शुल्क एवं मंहगाई शुल्क मिलाकर उतना मासिक शुल्क स्वीकार किया जायेगा जो विद्यालय स्टाफ के वेतन अनुरक्षण व इससे संबंधित अन्य व्यय के लिए पर्याप्त हो। इसके अतिरिक्त शिक्षण शुल्क तथा मंहगाई शुल्क से विद्यालय की वार्षिक आय में से वेतन भुगतान के पश्चात् शुल्क आय के 20 प्रतिशत से अधिक बचत न हो। शिक्षण शुल्क में कोई वृद्धि तीन वर्ष तक नहीं की जायेगी। शुल्क में जब वृद्धि की जायेगी, वह 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। विद्यालय द्वारा निम्नलिखित मदों में शुल्क लिया जा सकता है-
1-शिक्षण शुल्क, 2-मंहगाई शुल्क, 3-विकास शुल्क, 4-विजली, पानी आदि, 5-कीड़ा शुल्क, 6-परीक्षा/मूल्यांकन, 7-विद्यालय समारोह/उत्सव, 8-विशेष विषयों की शिक्षा-कम्प्यूटर, संगीत आदि।
18. आपके विद्यालय को आवंटित कोड संख्या-..... है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्याक का उल्लेख करें।

भवदीय,

(भगवत पटेल)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
जालौन स्थान उरई।

पृष्ठांकन संख्या/मा0/अंग्रेजी माध्यम/

/2019-20 तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर शिक्षा निदेशक, (बेसिक), शिक्षा निदेशालय इलाहाबाद, उ0प्र0।
2. मुख्य विकास अधिकारी, जालौन स्थान उरई।
3. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक, (बेसिक) झौंसी मण्डल झौंसी।
4. समाज कल्याण अधिकारी, जालौन स्थान उरई।
5. खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकासखण्ड.....।
6. कार्यालय आदेश पत्रावली।



St. Joseph's School
N.T.P.C., Ditorajpur (Auralya)

(भगवत पटेल)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
जालौन स्थान उरई।

Principal
GAIL D.A.V. Public School,
GAIL, Gail, Ditorajpur
Auralya (U.P.) 206244

कार्यालय-जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जालौन स्थान उरई।

पत्रांक संख्या/

/2020-21 दिनांक- 23/06/2020

कार्यालय झाप

प्रबन्धक भगवान सिंह जू0हा0स्कूल अजनारी विकासखण्ड डकोर उरई का विद्यालय नाम परिवर्तन प्रस्ताव जिसमें इनके द्वारा भगवान सिंह जू0हा0स्कूल अजनारी विकासखण्ड डकोर उरई का नाम परिवर्तित कर दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल अजनारी विकासखण्ड डकोर उरई किये जाने हेतु उपलब्ध कराया था। प्रस्ताव एव सचिव उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के पत्रांक /बे0शि0प0/सामान्य (5)/24454-532/94-95 दिनांक 25 मार्च, 1995 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों के क्रम में मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) झॉंसी मण्डल झॉंसी के आदेश पत्रांक/548-49/2020-21 दिनांक 24/06/2020 के द्वारा उक्त विद्यालय के नाम परिवर्तित करने की अनुमति दी गयी है। अतः भगवान सिंह जू0हा0स्कूल अजनारी विकासखण्ड डकोर उरई के स्थान पर दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल अजनारी विकासखण्ड डकोर उरई पढा जाये।

(प्रेमचन्द यादव)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
जालौन स्थान उरई।

तददिनांक।

पृष्ठांकन संख्या/मान्यता/ 1062-64 /2020-21
प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज।
2. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), झॉंसी मण्डल झॉंसी।
3. प्रबन्धक सम्बन्धित विद्यालय।

(प्रेमचन्द यादव)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
जालौन स्थान उरई।





महानिदेशक, स्कूल शिक्षा
एवं
राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय

संलग्न शिक्षा, विद्या सचन, मिशातनंज, लखनऊ - 226 007

वेब-साइट: www.upfpa.com

ई-मेल: upfpa0@gmail.com

दूरभाष: 0522-4024440, 2780384, 2781128



प्रेषक
राज्य परियोजना निदेशक,
स्कूल शिक्षा उ0प्र0
लखनऊ।

सेवा में
श्री मनीष गर्ग,
संयुक्त सचिव,
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग,
शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार,
शास्त्री भवन, नई दिल्ली।

पत्रांक: ए0प्र0नि0/ 5654 /2021-22/लखनऊ

दिनांक: 08 मार्च, 2022

विषय- एक वर्ष के पूर्व से मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं को नवीन यू-डायस कोड आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,
कृपया अवगत कराना है कि राज्य स्तर से विभिन्न वर्षों में मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं के सम्बन्ध में नवीन यू-डायस कोड आवंटित किये जाने के अनुरोध अग्रसारित किये गये हैं। एक वर्ष के पूर्व से मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं के अनुरोधों को भारत सरकार के स्तर से यह अंकित करते हुए वापस कर दिया गया है कि 'कृपया अपडेटेड मान्यता प्रमाण-पत्र अपलोड कर प्रेषित करें'।

उक्त प्रेषित किये गये अनुरोधों में वास्तविक शैक्षिक संस्थाएं ही अग्रसारित की गयी हैं। प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन वैसिक शिक्षा अनुभाग-6 के शासनादेश संख्या-419/79-6-2013-18(20)/91 दिनांक 08 मई, 2013 (प्रति संलग्न) के बिन्दु- 15 में उल्लिखित निर्देश 'प्रथमदृष्टया निर्धारित प्रारूप पर नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के दृष्टिकोण औपबन्धिक मान्यता तीन वर्ष के लिए दी जायेगी। इस अवधि में मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं होता है तो तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गयी है' के अनुसार मान्यता के सम्बन्ध में अपडेटेड प्रमाण-पत्र निर्गत करने का प्राविधान नहीं है। आगामी स्तर से मात्र पिछले एक वर्ष में मान्यता प्राप्त अथवा नवीन संचालित शासकीय संस्थाओं के यू-डायस कोड आवंटन हेतु ही अनुरोध पत्र प्रेषित एवं स्वीकृत किए जाएंगे। इस सम्बन्ध में समस्त जनपदों को निर्देश प्रेषित कर दिये गये हैं।

अतः आपसे अनुरोध है कि पूर्व के त्रुटिवश/संयुक्त प्रचार-प्रसार के अभाव में यू-डायस कोड आवंटन का अनुरोध न करन वाले विद्यालयों को राज्य स्तर से अग्रसारित अनुरोधों के क्रम में वर्तमान स्तर में यू-डायस कोड आवंटित करने का कष्ट करें।

संलग्नक-उक्तवत्

भवदीया,

(अनामिका सिंह)

राज्य परियोजना निदेशक।

पृष्ठांकन: ए0प्र0नि0/
प्रतिलिपि

/2021-22/लखनऊ/तददिनांक

1. जिलाधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ कि आपके जनपद में संचालित समस्त पात्र शैक्षिक संस्थाओं के यू-डायस कोड के आवंटन की कार्यवाही कराने का कष्ट करें।
2. श्री सदा अखतर, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक (साइंटिस्ट-एफ)
3. जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।

(अनामिका सिंह)
राज्य परियोजना निदेशक।

